

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
जौनपुर ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक: 19 सितम्बर, 2019


विषय: मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-1226/ओएसडी-मु०मं०घो०/2019, दिनांक 04-3-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा दिनांक 09.01.2019 के क्रम में जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में प्राथमिक विद्यालय मवई के नाम से संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित गाट संख्या-642/1.5500 हे० भूमि पर राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में राजस्व अभिलेखों में प्राथमिक विद्यालय मवई के नाम से संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित गाटा संख्या-642/1.5500 हे० भूमि जो पूर्णतया खाली है, पर राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।


भवदीया,


(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयाराज।
- 3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर ।


(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।